

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 23.05.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थितियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान

01 नफर अभियुक्त को अवैध तमंचा/कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

जनपद महोबा में श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री राधेश्याम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ द्वारा उ0नि0 सनय कुमार व प्रशिक्षु उ0नि0 अंकित कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित हुई पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान चौका गांव को जाने वाले रास्ते गौशाला के पास चौका वहद ग्राम चौका थाना महोबकंठ जिला महोबा के पास से अभियुक्त सोनू कौशिक पुत्र मुन्नालाल कौशिक उम्र करीब 26 वर्ष नि0 ग्राम चौका थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 107/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:- 1. उ0नि0 सनय कुमार 2. प्रशि0 उ0नि0 अंकित कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त – 1. सोनू कौशिक पुत्र मुन्नालाल कौशिक उम्र 26 वर्ष नि0 ग्राम चौका थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 23.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।



थाना खरेला की पुलिस टीम ने छेड़खानी के अभियोग से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद महोबा में श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गोपाल चन्द्र कन्नौजिया, प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला द्वारा उ०नि० राजेन्द्र प्रकाश, उ०नि० मो. कलीम उस्मानी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित हुई पुलिस टीम ने थाना खरेला में छेड़खानी के सम्बन्ध में पंजीकृत हुए अभियोग मु०अ०सं० 57/24 धारा 342/354 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र फूल सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा को अमर निर्मल पैलेस कस्बा व थाना खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० राजेन्द्र प्रकाश
2. उ०नि० मो० कलीम उस्मानी
3. पीआरडी सतीष तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

दीपू सिंह पुत्र फूल सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा



